न्यायालय अपर **सिविल जज (प्रवर खण्ड)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
न्याय कक्ष संख्या 05, बुलन्दशहर।

सरकार.....बनाम .....प्रशान्त आदि

बेल सं०-10130 सन् 2026
मु०अ०सं०-47 सन् 2026
धारा- 352/351(3)/119(2)/115(2)
बी०एन०एस०
थाना- नरसैना, बुलन्दशहर।

-आदेश-

दिनांक 17.03.2026

मु०अ०सं०-47 सन् 2026 सरकार बनाम प्रशान्त आदि, अंतर्गत धारा-352/351(3)/119(2)/115(2) बी०एन०एस० थाना- नरसैना, जिला बुलन्दशहर के प्रकरण में अभियुक्तगण/प्रार्थीगण प्रशान्त व सुभम पुत्रगण श्री कन्छिद का आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र व जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण/ प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को मुकदमा उपरोक्त में झूंठा फंसाया गया है। मुकदमा उपरोक्त का वादी मुकदमा प्रार्थीगण से हमेशा रंजिश मानता है, जिस कारण वह झूंठे आरोप लगाता रहता है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थीगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप जमानतीय अपराध है। प्रार्थीगण का कोई अपराधिक इतिहास किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं जिसके गवाहों को डराने, धमकाने आदि का कोई अन्देशा किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए उचित जमानती देने को तैयार हैं। अतःअतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अपराध अजमानतीय प्रकृति का है, जमानत का विरोध किया।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पुत्र के साथ गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अतः मामले के गुणदोष पर अभिमत व्यक्त न करते हुए उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त प्रशान्त व सुभम को मुबलिग 20,000/-20,000/- रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है-

1. अभियुक्तगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें।
2. अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

17.03.2026

(कोमल शुक्ला)
अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्याय कक्ष सं०-05, बुलन्दशहर।
(J.O.CODE–U.P–2509)

Digitally signed by KOMAL SHUKLA
Date: 2026.03.17 16:41:57 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मु०अ० संख्या– 24/2024, सरकार बनाम प्रदीप राणा आदि।, अन्तर्गत धारा– 498A, 323, 504, 506, 494 आई.पी.सी., 3/4 डी.पी. एक्ट थाना महिला थाना, जिला बुलन्दशहर के प्रकरण में अभियुक्त प्रदीप राणा का जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त प्रदीप राणा इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा मे ं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही ं है। जमानत पर रिहा किये जान े की याचना की गयी है। सहायक अभियोजन अधिकारी का कथन है कि अभियुक्त द्वारा

कारित अपराध अजमानतीय प्रकृति का है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामला पारिवारिक प्रकरण से संबंधित है। अपराध 7 वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा मे ं है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को जमानत देन े का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू

दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।